[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

अधिसूचना सं. 25/2018 सीमाशुल्क (गै० टे०)

का.आ. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 64/1994- सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 नबंवर, 1994, जिसे सा.का.नि. 831 (अ) दिनांक 21 नबंवर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है यथाः-

उक्त अधिसूचना में,

(क) परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
"बशर्ते कि शिरोडा स्थित पेलेट प्लांट जट्टी पोर्ट को लौह अयस्क के पेलेट्स और इसके कच्चे माल के व्यापार के उद्देश्य से तटीय पोर्ट के रूप में नियुक्त किया जाता हैः
बशर्ते और भी कि भोगट पोर्ट को कच्चे पेट्रोलियम के तटीय व्यापार के लिए तटीय पोर्ट के रूप में नियुक्त किया जाता हैः";

(ख) सारणी में, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (50) के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतः स्थापित किया जाएगा यथा,-

"(51) योगायतन"

[फा.सं. 572/02/2016-एल.सी.]

(बी कोन्थौजम)

अवर सचिव, भारतसरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 64/1994-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 नबंवर, 1994, सा.का.नि. 831 (अ.) दिनांक 21 नबंवर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 24/2015-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 26 फरवरी, 2015, सा.का.नि. 526 (अ.) दिनांक 16 फरवरी, 2015 के द्वारा संशोधन किया गया था।